THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No. Cement and foodgrains have moved under their respective priorities.

(b) Details are indicated in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1740/68].

(c) A daily commodity quota of 30 wagons has been fixed for movement of grain on trade account from the Kota Division but supply of wagons for loading has to be arranged in turn of registrations, along with other commodities under the same priority, subject to restrictions in booking in force.

(d) Yes. Supplies of wagons for loading are made in order of priority of the traffic and turn of registrations. Cement moves under priority 'C' of the Preferential Traffic Schedule, sponsored foodgrains move under priority 'B' of the Preferential Traffic Schedule, while foodgrains on trade account generally move under Item 'E' of the Preferential Traffic Schedule. Endeavours are made to supply wagons for loading in order of priority .

COMMITTEE ON EXPORT OF ALLOYS AND SPECIAL STEEL

4000. SHRI VIRBHADRA SINGH :

SHRI B. N. SHASTRI :

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have set up a Committee to suggest measures to explore and promote the export of alloys and special steel now being produced in the country;

(b) if so, the terms of reference of this Committee; and

(c) the time by which the Committee is likely to submit its report ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

TRADE WITH U.S.A.

4001. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the value of exports to and imports from the U.S.A. during the last three years;

(b) whether it is a fact the exports from India to the U.S.A. exceed imports from that country at the present time;

(c) whether any talks have been held with the U.S.A. regarding the payment for exports; and

(d) if so, the nature thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a)

Figures in millions

	1965-66	1966-67	1967-68
	Rs.	Rs.	Rs.
Export (f.o.b.)	1477·7 ($310·3)	2199·8 ($293·3)	2074·4 ($276·6)
Imports (c.i.f.)	5253·4 ($1103·2)	7829·1 ($1043·9)	7715·0 ($1028·7)

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

12.00 HRS.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ADMINISTRATIVE DISPUTE BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE DELHI ADMINISTRATION OVER NOMINATION OF FINANCE MEMBER TO N.D.M.C.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय गृह कार्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में एक वक्तव्य दें:—

"नई दिल्ली नगरपालिका के लिए एक वित्त सदस्य के नामनिर्देशन पर केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच प्रशासनिक विवाद के समाचार।"

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 27(3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अधीन नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्यों का नामांकन तथा उसके अन्य सहायक मामलों का प्रश्न प्रशासक का एक मात्र उत्तरदायित्व होगा। यह अधिसूचना सार्वजनिक हित में एक स्थिति को स्पष्ट करने के लिये जारी की गई थी जो कानून में पहले ही विद्यमान थी कि नई दिल्ली नगर पालिका के सम्बन्ध में कार्यकारी पार्षद या परिषद द्वारा किये गये सभी निर्णय प्रशासक की स्वीकृति के आधीन थे और मतभेद होने पर प्रशासक के विवेकानुसार कार्य करने के लिये छोड़े गये थे।

2. 1 अप्रैल, 1968 तक दिल्ली प्रशासन का वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के सम्बन्धित विभाग में उप सचिव भी था। 1 अप्रैल, 1968 के बाद दोनों पदों का पृथक करना आवश्यक समझा गया और परिणामतः दिल्ली प्रशासन ने अपना वित्त सचिव नियुक्त किया। यह प्रश्न कि दिल्ली राज्य प्रभाग में उप-सचिव, वित्त, नई दिल्ली नगर पालिका में रहना चाहिये या द्विशासन को ध्यान में रखते हुए उस के बदले वित्त सचिव, दिल्ली को स्थान लेना चाहिये, सरकार के विचाराधीन था। दिल्ली के उप-राज्यपाल भी इस प्रश्न पर गौर कर रहे थे कि क्या नई दिल्ली नगर पालिका में एक पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की जाय।

3. जब कि इन विभिन्न विकल्पों की मंत्रालय में छानबीन की जा रही थी उप राज्यपाल ने दिल्ली प्रशासन के वित्त सचिव को वित्त मंत्रालय के दिल्ली राज्य प्रभाग के उप सचिव के स्थान पर नई दिल्ली नगर पालिका के वित्त सदस्य के रूप में अधिसूचित किया। अतः उप राज्यपाल को यह बताना आवश्यक समझा गया था कि जब कि उन के अपने प्रस्ताव, जो उन्होंने मंत्रालय में भेजे थे, विचाराधीन थे, नये वित्त सदस्य की नियुक्ति को रोकना बेहतर होगा, विशेषकर जब कि समिति के अपने वर्तमान कार्यकाल के केवल दो माह शेष रहते थे, जिस अवधि में इस प्रश्न के सभी पहलूओं की जांच की जा सकती थी।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कि यह रिज़र्व्ड विषय है और लेफ्टीनेन्ट गवर्नर होम मिनिस्ट्री का नमाइन्दा होता है, होम मिनिस्ट्री से उन का तकरीर होता है—तो क्या उन्होंने जो कुछ किया वह सरकार से पूछ कर किया है या बगैर पूछे किया है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिस समय यह नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस समय इसके बारे में हम लोगों से नहीं पूछा गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और दिल्ली प्रशासन भारतीय जनसंघ के हाथ में है—गृह मंत्रालय के द्वारा सारे काम इस ढंग से किये जा रहे हैं कि जनसंघ के प्रशासन को बदनाम किया जाय। अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उन से कुछ प्रश्न पूछने के पहले दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार के बीच में नई दिल्ली नगर पालिका में वित्त सदस्य नियुक्त करने के बारे में जो पत्र-व्यवहार हुआ है—उस का एक अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। मई 24 को गृह मंत्रालय के डिप्टी सैक्रेटरी श्री पारिजा ने फाइनेन्स मिनिस्ट्री के ज्वाइन्ट सैक्रेटरी श्री मदान को एक पत्र लिखा—उस का एक अंश इस प्रकार है—

"In this connection it is to be noted that Administrator of Delhi is the competent authority under the Punjab Municipal Act, 1911 acting in the capacity of the State Government to appoint members to the New Delhi Municipal Committee. Local self-government being a State subject it

comes within the purview of the Delhi Executive Council. According to Section 27(1) of the Delhi Administration Act, 1966, every decision taken by the Executive Council in respect of New Delhi shall be subject to the concurrence of the Administrator."

"In the case of any difference of opinion the Administrator is competent to apply his discretion and act accordingly. In this particular case, however, the Administrator and the Executive Councillor seem to be in complete agreement on having the Finance Secretary as a member of the NDMC in place of the Deputy Secretary, Delhi Special Division."

इस पत्र में आगे लिखा है—

"In these circumstances, we feel there is no necessity to issue any directive from the Administration, particularly as we believe that the financial interests of the Central Government would be quite safe in the hands of the Finance Secretary, Delhi Administration, who incidentally happens to be an officer of the Union Territories Cadre. So, on this score there need not be any apprehension."

श्री पारिजा के इस पत्र के उत्तर में श्री मदान ने गृह मंत्रालय के ज्वाइन्ट सैक्रेटरी श्री यारडी को लिखा—उस पत्र का एक अंश भी मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह उस से जुड़ा हुआ है और आवश्यक भी है—यह 11 जून का पत्र है—

"Please refer to Parija's letter in reply to my letter of 24th April addressed to A. D. Pande, regarding the nomination of Finance representative as a member of the New Delhi Municipal Committee. We have put up the case to the Deputy Prime Minister. He is of the view that it should be preferable to appoint the Deputy Secretary, Delhi State Division, Ministry of Finance, as a member of the New Delhi Municipal Committee. He has further observed that if the Lt. Governor does not agree to this, let him nominate anyone he likes."

इस पत्र से स्पष्ट है कि पहले गृह मंत्रालय को इस नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। उप प्रधान मंत्री से विचार विनिमय कर के दिल्ली प्रशासन को यह सूचित किया गया कि दिल्ली प्रशासन जिस व्यक्ति को नामजद करना चाहता है, उस पर भारत सरकार को किसी तरह का कोई एतराज नहीं है और अगर लेफटीनेन्ट गवर्नर चाहे तो नया व्यक्ति नियुक्त कर सकता है। इस के बाद 20 जुलाई को लेफटीनेन्ट गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस के हिसाब से दिल्ली प्रशासन के फाइनेन्स सैक्रेटरी को नई दिल्ली नगर पालिका में सदस्य नामजद कर दिया गया। लेकिन उन्हीं श्री यारडी ने, जिन्होंने श्री मदान को लिखा था कि नियुक्ति की जा सकती है, लेफटीनेन्ट गवर्नर को पत्र लिखा - यह 31 जुलाई का पत्र है—

श्री विद्याचरण शुक्ल : जरा पत्रों की तारीखें भी बताइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तारीखें आपकी फाइल में हैं और मैं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा गोलमाल है, आप विरोधी दल के साथ इस तरह का व्यवहार करें—इस की जांच की जानी चाहिए। अब वही श्री यारडी गजट-नोटिफिकेशन होने के बाद—जो कि दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया और लेफटीनेन्ट गवर्नर की सहमति से किया गया, इस के बारे में केन्द्र सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ—31 जुलाई को वही मि० यारडी फिर से लेफटीनेन्ट गवर्नर को एक पत्र लिखते हैं मैं उस पत्र को उद्धृत करना चाहता हूं····

श्री बैजनाथ कुरील (रामसनेही घाट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये प्राइवेट चिट्ठियां हैं····

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई घर का मामला नहीं है, प्राइवेट चिट्ठियां नहीं हैं। आप जानते हैं कि प्राइवेट क्या होता है?

MR. SPEAKER : Does the hon. Member not know what is private ? How is this private ? It is a letter written by the Government of India to the Lt. Governor and you call it private. It is not a love letter.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पत्र को उद्धृत कर रहा हूं —

"It has been decided that it would be better if effect is not given to this Notification and the matter is considered afresh when the Committee is reconstituted in October. I tried to contract you over the telephone but could not get you. I have asked your Chief Secretary to convey his decision of the Central Government. It is understood that the Finance Secretary has not taken the oath of office in NDMC. The oath-taking, therefore, may be stayed."

MR. SPEAKER : Now please come to your question.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं—पहला—जब केन्द्र सरकार को पहले इस बात पर आपत्ति नहीं थी कि दिल्ली प्रशासन का फाइनेन्स सैक्रेटरी नई दिल्ली नगरपालिका का फाइनेन्स मेम्बर हो तो फिर बाद में आपत्ति क्यों की गई, विशेषकर जब कि नाम का नोटिफिकेशन गजट में किया जा चुका था और केन्द्र सरकार के कैडर का अधिकारी शपथ लेने के लिये जा रहा था। क्या यह सच है कि इस सवाल पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में मतभेद है ? क्या यह सच है कि गृह मंत्री और उपप्रधान मंत्री में मतभेद है ? क्या यह भी सच है कि यह सारा काम इसलिये किया गया है कि केन्द्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार दिल्ली प्रशासन में जनसंघ के शासन को बदनाम करना चाहती है ? क्या यह राजनीतिक हस्तेक्षप नहीं है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है कि केन्द्रीय सरकार जनसंघ को दिल्ली प्रशासन में बदनाम करना चाहती है। इस बात में जरा भी तथ्य नहीं है। जहां तक मतभेद का सवाल है, वित्त मन्त्रालय और गृह मंत्रालय में कोई भी मतभेद नहीं है। (व्यवधान) .....

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे धैर्यपूर्वक सुनें और समझने की कोशिश करें। जब नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में यह सवाल उठा कि इसका वित्त सदस्य कौन हो, चूंकि पहले वित्त मंत्रालय में जो डिप्टी सैक्रेटरी थे वही दिल्ली प्रशासन के फाइनेन्स सैक्रेटरी थे और वही एन० डी० एम० सी० के फाइनेन्स मेम्बर कहलाते थे और बीच में जब दिल्ली प्रशासन में फाइनेन्स सेक्रेटरी और वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट को अलग अलग किया गया तब यह प्रश्न उठा कि अब नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में किसको रखा जाये, दिल्ली के फाइनेन्स सैक्रेटरी को रखा जाये या वित्त मंत्रालय का जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसको रखा जाये। यह प्रश्न विचाराधीन था। इस बीच में लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने एक प्रस्ताव किया कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि एक सम्पूर्ण रूप से स्वतन्त्र, नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का फाइनेन्स मेम्बर बना दिया जाये। यह प्रस्ताव हमारे पास था। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा, यह प्रस्ताव फाइनेन्स मिनिस्ट्री और माननीय उपप्रधान मंत्री के सामने भी रखा गया और उन्होंने यह राय दी कि यह ज्यादा अच्छा होगा कि वित्त मन्त्रालय का जो उप-सचिव है उसे ही नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का फाइनेन्स मेम्बर बना दिया जाये और यदि लेफ्टिनेन्ट गवर्नर इसके लिए तैयार न हों तो फिर जैसा उचित समझें वैसा करें। यह उपप्रधान मन्त्री की राय थी। जब यह प्रश्न गृह-मंत्रालय के विचाराधीन था उस समय अचानक एक नोटिफिकेशन हमारे ध्यान में आया जिसमें यह लिखा था कि जो दिल्ली प्रशासन के फाइनेन्स सेक्रेटरी हैं उनको एन० डी० एम० सी० का वित्त मेम्बर बना दिया

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

जाये। इस पर हमको आश्चर्य हुआ। उपराज्यपाल महोदय का जो प्रस्ताव था वह यह था कि एक स्थायी फाइनेन्स मेम्बर एन० डी० एम० सी० का बनाया जाये लेकिन अचानक जब यह चीज़ सामने आई तो उस पर आश्चर्य होना स्वाभाविक था।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो कानूनी स्थिति है वह भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। पहले जो एन० डी० एम० सी० का मेम्बर नामिनेट किया जाता था, नामजद किया जाता था उसके लिए एग्जिक्यूटिव काउंसिलर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर से बात करते थे और यदि दोनों में मतभेद नहीं होता था तो उसको मान लिया जाता था पर इस जून के महीने में एक ज्ञापन जारी किया गया और उसमें यह कहा गया . . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह बहुत शेमफुल ऐक्ट है आपका।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसमें यह सोचा गया, जैसा मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में कहा है, कि इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। पहले स्थिति साफ नहीं थी। उस स्थिति को साफ करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें इसे आरक्षित विषय बनाया गया। . . . . . (**व्यवधान**) . . . .

जनहित में आरक्षित विषय बनाया गया (व्यवधान) . . . . . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। शुक्ल जी के विरुद्ध पहले से ही हमारे आरोप हैं। वे कांग्रेस की कठपुतली बनकर दिल्ली प्रसासन को सदा बदनाम करते रहे हैं। गृह-मंत्री जी को कहा जाये कि वे यहां पर उत्तर देने के लिए आयें।

MR. SPEAKER : He is answering.. ..(*Interruptions*).

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : He is shielding him. There is corruption in New Delhi,

चिराग तले अंधेरा हो रहा है।

(*Interruptions*) He is shielding Mr. Chhabra and Mr. Chhabra has to go. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Order, order. Will you kindly sit down? I think I will have to expunge if you go on shouting like this. You cannot simply say, so and so must go. He has asked a question and the Minister is answering. If there is anything, the leader of your party is there to ask, I take it as a serious matter, not lightly. Otherwise, I may not have put it. I have put it so that something can be clarified now and, later on, you could discuss it, if necessary. Now, about the Home Minister, I do not know where he is—he may be in the other House; I do not know. He is also the Minister of State... (*Interruptions*). He is answering. If it is not satisfactory, other methods are open to you. Suppose his answers are not able to satisfy you. We will see later on. The Home Minister is not here. Are we going to hold it up now and say, let the Home Minister come and, if he is also not able to satisfy you, let the Prime Minister come. Where will it lead to? Let us see. He is answering.

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं भारत सरकार की तरफ से अधिकृत रूप में जवाब दे रहा हूं। अगर कोई फितूर हो तो उसको ठीक कर दीजिए। . . . . . . (व्यवधान) . . . .

SHRI M. L. SONDHI : We will make specific charges. (*Interruptions*). He has threatened to prosecute us. Under Sec. 144, he drags us to the court everyday. (*Interruptions*).

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि जनहित में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसको आरक्षित विषय बनाया गया। वैसे ही नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का विषय आरक्षित

हुआ जिस तरह से पुलिस सर्विसेज, लैंड बिल्डिंग्ज भारत सरकार के अधीन आती हैं और हमसे परामर्श करके काम करना होता है। उसी प्रकार यदि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में कोई सदस्य नामजद करना हो तो हमसे परामर्श करना आवश्यक होगा। जब हमसे परामर्श नहीं किया गया और जब हमने कहा कि सितम्बर के अन्त तक एक नयी कमेटी बनाने के बारे में सोच विचार करना है और तीन अक्तूबर को जारी करना है इसलिए इस बीच में कोई नयी बात न की जाए, जो अभी तक नहीं हुई है और हमसे परामर्श किए बिना जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अन्तर्गत कार्यवाही न की जाए बल्कि जब हम नयी म्युनिसिपल कमेटी बनायेंगे उस वक्त विचार करके तय करेंगे कि क्या करना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। यह ठीक है कि जो कुछ बाकी बच गया है उसे श्री कंवरलाल गुप्त और श्री ओम प्रकाश त्यागी पूछ लेंगे लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर विचार विनिमय चल रहा था तो फिर गृह मंत्रालय के डिप्टी सैक्रेटरी मि० परीजा ने यह बात क्यों लिखी कि नामजदगी की जा सकती है? आज यह शुक्ल जी कह रहे हैं कि चूंकि विचार विनिमय हो रहा था इसलिए नामजदगी का ऐलान नहीं होना चाहिए लेकिन रेकार्ड यह बतलाता है कि आप के गृह मंत्रालय के डिप्टी सैक्रेटरी ने लिखा कि नामजदगी हो सकती है और उस में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बारे में मंत्री महोदय को क्या कहना है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने साफ़ किया कि हमारे पास जो उपराज्यपाल महोदय के पास से पत्र आया था उस में वह चाहते थे कि एक स्वतंत्र आदमी को एन० डी० एम० सी० के वित्त विभाग को देखने के लिए उस का सदस्य बनाया जाय। अब यह कि उक्त डिप्टी सेक्रेटरी ने क्या लिखा और किस वक्त वह लिखा लैटर उस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यही बात मैंने उस वक्त भी बताई थी।

श्री कंवरलाल गुप्त : डेढ़ साल से जब से दिल्ली प्रशासन और नगर निगम जनसंघ के हाथ में आया है तब से केन्द्रीय सरकार तरह-तरह के रोड़े दिल्ली प्रशासन के मार्ग में अटका रही है। क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन केन्द्रीय सरकार दिल्ली के जनसंघी प्रशासन के साथ कर रही है। ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार यह नहीं चाहती है कि जनसंघ प्रशासन ठीक तरीके से यहां काम करे। इसके लिए दिल्ली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और होम मिनिस्टरी में और खास कर विद्याचरण शुक्ला जी के बीच में एक कौंस्पिरेसी चल रही है और यही कारण है जो वह तरह-तरह की गड़बड़ियां करते हैं।

मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात जो श्रीमान शुक्ला जी ने कही कि यह हमारा जूरिस्डिक्शन है तो उस के लिए मेरा पहला सवाल यह है कि अप्रैल के महीने में यह जगह खाली हुई, अप्रैल के महीने में किस का जूरिस्डिक्शन था? और जैसा कि होम मिनिस्टरी के ऐडीशनल सेक्रेटरी ने लिखा है कि अप्रैल के महीने में यह ट्रान्सफर्ड सबजैक्ट कर दिया गया था और अगर मैट्रोपोलिटन कौंसिल और गवर्नर में मतभेतद हो तो गवर्नर उसके ऊपर दूसरी बातें कर सकता था अब मैट्रोपोलिटन कौंसिल में और गवर्नर में कोई मतभेद नहीं हुआ, बिलकुल मतभेद नहीं हुआ। दोनों फ़ाइनेन्स सेक्रेटरी को, फाइनेन्स सेक्रेटरी जो दिल्ली स्टेट के थे उन को नियुक्त करना चाहते थे। केन्द्रीय सरकार बीच में बिल्कुल नहीं आती मैं पूछना चाहता हूं कि यह आप बीच में कैसे टपक पड़े? जैसा मैंने कहा वह दिल्ली के कांग्रेसियों

[श्री कंवरलाल गुप्त]

और शुक्ला जी के बीच में कौंस्पिरेसी थी और इसलिए दिल्ली के कांग्रेसियों ने सजैशशट किया कि नई दिल्ली म्युनिसपल कमेटी के जो फाइनेंस निशयल ऐडवाइजर हैं उन को एन० डी० एम० एस० का मैम्बर मुकर्रर कर दिया जाय। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पर एग्रो भी हो गये लेकिन जब उसे जुडिशिएल ब्रांच में भेजा गया तो जुडिशिएल ब्रांच ने कहा कि एन० डी० एम० सी० का जो इम्प्लायी है वह उस का मैम्बर नहीं हो सकता है। उस के बाद फिर लैफ्टिनेंट गवर्नर ने मिस्टर गोयल जोकि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन को नोटिफाई किया उन को मैम्बर किया।

आप ने जो एक दूसरी बात कही कि जून से यह ट्रान्सफर्ड सबजैक्टर कर दिया गया तो मेरा चार्ज यह है कि वह जो कौंस्पिरेसी आप के और दिल्ली के कांग्रेसियों के बीच चल रही है उस के अनुसार यही कोशिश है कि दिल्ली प्रशासन के सारे अधिकार आहिस्ता आहिस्ता ले लिये जायं और जो अधिकार उन के हैं भी उन के अन्तदर भी बाधा डाली जाय और क्या आप ने यह ट्रान्सफर्ड सबजैक्ट इसलिए नहीं किया कि जनसंधी प्रशासन के जो अधिकार हैं उन को कम किया जाय?

इस के अतिरिक्त मेरा कहना यह है कि एन० डी० एम० सी० का जब नोटिफिकेशन हुआ उस के बाद एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें वह शपथ लेने वाले थे लेकिन इन कांग्रेसियों ने, मिस्टर छाबड़ा ने और शुक्ल जी ने मिल कर वह मीटिंग पोस्टपोन कर दी और उस सप्ताह में कोई मीटिंग नहीं होने दी। उस के बाद फिर उन्होंने डाइरैक्शन दिया जिस में कहा गया कि आप वह न कीजिये, आप वह नोटिफिकेशन न कीजिये वह अभी तक यहां परम्परा रही है कि एन० डी० एम० सी० में दिल्ली प्रशासन से फाइनैन्स मैम्बर नौमिनेट होता है और हालांकि उपराज्यपाल ने उन की बात को मान लिया लेकिन इस बारे में उपराज्यपाल महोदय ने प्रोटैस्ट किया है और मैं उपराज्यपाल के लैटर से कोट करना चाहता हूं और आप की आज्ञा से मैं उसे सदन में रखना चाहता हूं।

This is what the Lt. Governor says.

"I would however, be failing in my duty if I did not point out that it would not be correct to leave it to the NDMC which has an annual budget of several crores to incur expenditure on various projects without having the benefit of independent financial advice. Obviously, the internal financial officer cannot be expected to exercise the required supervision, control and check over the expenditure. As long as the Finance Member is not nominated to the NDMC, the Delhi Administration has no means of knowing as to whether or not the funds of the NDMC are being utilised properly.".

यह इन का आर्डर जाने के बाद उपराज्यपाल महोदय ने लिखा है:

एन० डी० एम० सी० के खिलाफ 2820 आडिट औबजैक्शंस हैं जोकि अभी तक साफ नहीं किये गये हैं और यहां पर परचेजेज के बारे में भी गोलमाल हो रहा है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप ने यह ट्रान्सफर क्यों किया? यह आप ने रिजर्व्ड सबजैक्ट क्यों बनाया? दूसरे वह जो एक मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग को आप ने पोस्टपोन क्यों कर दिया? यह 4 महीने जो फाइनैंस मैम्बर नहीं रहा तो कौन सी मशीनरी आप ने क़ायम की है जिसमें कि इंडिपेंडेंट कंट्रोल दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन का एन० डी० एम० एस० के फाइनैंशियल ऐक्सपैंडीजचर पर रह सके? अगर आप इसे डिनाई करते हैं और आप मेंटेन करते हैं कि आप को इस में कोई गड़बड़ या कौंस्पिरेसी नहीं है तो क्या आप कोई एक इंडिपेंडेंस इनक्वायरी इस बात को मालूम कराने के लिए करायेंगे कि डेढ़ साल में

केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली के जनसंघी प्रशासन में क्या इंटरफ़ीएरेंस किया है **(व्यवधान)**

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यह चीज रिकार्ड में आनी चाहिए कि यह चिट्ठी गुप्ता जी को किस ने दी? यह पत्र उप-राज्यपाल ने इन्हें पास किया या किस ने इन्हें दिया यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और यह रेकार्ड में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आप का प्रोटैक्शन चाहता हूं।

MR. SPEAKER : Shri Sheo Narain should resume his seat now. He does not need my protection at all. He is asking how the Lt. Governor's letter and how the Secretary's letter etc. have come. They are given in the newspapers also. Why should the hon. Member ask them? They are coming in the newspapers. That is a matter for a separate inquiry which the Home Ministry will have to set up. It cannot be asked as a supplementary question on a calling-attention-notice. Every letter is given in the newspapers before it even reaches the people to whom it is addressed.

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के दिमाग में जो षड़यन्त्र का एक फितूर आ गया है उस को वह निकाल दें और अगर उसे निकालने के बाद मेरी बात सुनेंगे तो उन की समझ में सब चीज़ आ सकेगी..... **(व्यवधान)**.....

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय द्वारा बार-बार यह फितूर का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब यह बात उन के दिमाग में से निकल जायगी तब वह मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ जायेंगे। हम लोग कोई प्रचार आदि करने के आदी नहीं हैं। हम लोग सीधी बात करते हैं जबकि दूसरे राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं और वह अपने दलगत स्वार्थ को मद्देनजर रख कर बात किया करते हैं। इस तरह का प्रचार करने की हमारी कभी आदत नहीं रही है।

माननीय श्री कंवरलाल गुप्त ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूं.....

मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि चूंकि माननीय सदस्य उस से संतुष्ट नहीं मालूम पड़ रहे इसलिए दुबारा मैं उन्हें साफ़ तरीके से दुहरा देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा कि इस विषय को रिजर्वड सबजैक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि वैसा करना सरकार आवश्यक समझती थी। अब हो सकता है कि उस से किसी को मतभेद हो। हो सकता है कि हमारी इस बात को कोई गलत मानें लेकिन हम ने सही मान कर वैसा किया है। रायों में मतभेद हो सकता है लेकिन चूंकि हम ने वैसा करना ठीक समझा है इसलिए उस को हम ने किया और इसमें कोई किसी तरीके की कोई राजनैतिक बात नहीं है और ऐसा करना हमने जनहित में समझा है..... **(व्यवधान)**.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब दिल्ली पर कांग्रेसी प्रशासन क़ायम था तब आप को यह जनहित की बात कभी नहीं सूझी लेकिन ज्योंही दिल्ली में जनसंघ का प्रशासन कायम हुआ तब आप को यह जनहित की और देशहित की बात सूझी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक इन के दूसरे प्रश्न का सम्बंध है कि एन० डी० एम० सी० की मिटिंग क्यों पोस्टपोन की गई तो वह सवाल उन्हीं से वह पूछें। हम लोगों से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है। कब मीटिंग बुलाई जाती है और कब पोस्टपोन की जाती है उस से हम लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक इंडिपेंडेंट फ़ाइनेंशियल ऐडवाइजर का सवाल है मैंने कहा कि इस

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

के बारे में विचार होगा कि किस तरीके से इस चीज को किया जाय। लेकिन उस बीच में अचानक यह नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए हम को उसे रखना पड़ा।

श्री कंवर लाल गुप्त: मंत्री महोदय एन्क्वायरी क्यों नहीं करवाते अगर उन के मन में विश्वास है?

What about an independent inquiry? What about having an impartial inquiry? That was my last question.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: No inquiry is needed.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अब तक की चर्चा से भी असली बात का पता हो गया है। उस में कोई छिपाने की बात नहीं है। जो कुछ सरकार ने किया है वह एक षड़यन्त्र है। आप भले ही उस को षड़यन्त्र न कहें, लेकिन है वह षड़यन्त्र ही।

SHRI JAGANNATHA RAO JOSHI (Bhopal): Public interest is a very good shield under which they can hide anything.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: नई दिल्ली नगर पालिका पंजाब म्युनिसिपल ऐक्ट के अनुसार कार्य करती है और उस अधिनियम के अन्तर्गत जो दिल्ली प्रशासन है वह उस पर नियन्त्रण करता है। उस की कार्रवाई को दिल्ली प्रशासन की अनुमति के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आर्थिक मामलों में भी जो निर्देश देना है वह दिल्ली प्रशासन का ही काम है। इस में जो वित्त सदस्य हैं उस का इसमें महत्वपूर्ण स्थान है।

MR. SPEAKER: The hon. Member is only repeating what the other Members have said. Does he want the functions of the Finance Secretary to be explained here? Let him come to the question now.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: असली बात यह है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री छाबड़ा पर बहुत से भ्रष्टाचार के दोषारोपण हैं और वह उन सब बांधलियों को छिपाना चाहते हैं। उन्होंने अपने वित्त सलाहकार से यह बात कही थी कि यदि वह उन की इच्छा के अनुसार कार्य करते रहें तो वह उन की नियुक्ति दिल्ली प्रशासन में करा सकते हैं। जब विधि मंत्रालय ने यह कह दिया कि यह नियुक्ति नहीं हो सकती तब उन्होंने यह मार्ग खोज निकाला मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले बीस सालों में जब मंत्री महोदय ने जनहित के लिये कोई बेचैनी प्रकट नहीं की तब फिर आज ही क्यों जनहित के लिये बेचैनी प्रकट की गई है। बीस वर्ष पश्चात् पहली बार आज कैसे यह इल्हाम आप को आया? दूसरी बात यह कि उपराज्यपाल के सुझाव को आपने मुख्य बनाया है। आप के ही मंत्रालय ने यह स्वीकृति दी कि नियुक्ति की जा सकती है और उपराज्यपाल की सहमति से यह नियुक्ति हुई है। लेकिन उपराज्यपाल की सहमति से जब नियुक्ति हुई तो उस के माने यह हैं कि उन का वह पहला सुझाव अपने आप रद्द हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उपराज्यपाल की सहमति से जो नियुक्ति हुई उस को मानने से सरकार ने इन्कार क्यों कर दिया? तीसरी बात यह कि जब नई दिल्ली नगरपालिका का अलग वित्त सचिव होगा और प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का संचालन दिल्ली प्रशासन करेगा तब वित्त सम्बन्धी कार्यों एवं दिल्ली प्रशासन में तालमेल कैसे बढ़ेगा?

श्री विद्याचरण शुक्ल: श्री त्यागी ने जो प्रश्न किया है उस से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने तथ्यों की तरफ से बिल्कुल अपना दिमाग बन्द कर लिया है।

SHRI M. L. SONDHI: Physician, heal thyself.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I have only said that the kind of questions that have been asked shows that these gentlemen have closed their minds

to facts and they are only asking questions with a political motivation. That is my impression. I have already said that there is no question of any conspiracy; there is no question of any political motivation.

Now I will give instances. Shri Tyagi asked why during the last 20 years we did not consider it necessary. He should know that the Delhi Administration Act has come into force only 2 or 2½ years ago. All these things are being done under that.

SHRI M. L. SONDHI : The Constitution of India came into force in 1950.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is not a question of any political prejudice or any political vendetta against anybody. He has also made an unfortunate allegation against a functionary...

SHRI M. L. SONDHI : Correct allegation. Set up an inquiry. We will prove it. Who presented 3 Fiat cars to the NDMC? Who gave permission to Prem Nath Motors to build a building illegally? Who gave permission for building a house in Defence Colony illegally? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Unless he assures me that he will not shout, I am not going to conduct the proceedings.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Why should the rest of the House be punished?

MR. SPEAKER : Why not let the Minister answer? Why should he shout like this? I can understand Shri Tyagi asking for a clarification if he is not satisfied with the answer. But everytime the hon. Member is shouting.

SHRI M. L. SONDHI : It is concerned with New Delhi.

MR. SPEAKER : Whether it is Shri Vajpayee or Shri Gupta, whoever puts a question, he has the right to shout. That is his sole privilege.

SHRI M. L. SONDHI : I am not talking nonsense.

MR. SPEAKER : But you have a right to shout! If Shri Tyagi is not satisfied with the answer, I can understand his asking a question. But whoever puts a question, the hon. Member has the right to shout in the middle of the answer. I do not want to shut out any discussion. But one shouting from that side brings another from the other side. Where will it lead us?

SHRI RANGA : Kindly advise the Minister also not to get into too much of this sort of thing; let him also behave properly.

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री जी जो कह रहे हैं कि उन के दिमाग में फितूर है, क्या यही उन के पास जवाब है?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is very unfortunate and improper to drag in the names of individual officers in this controversy. My information is that there are no charges of corruption against the President of the NDMC. I think he has been doing excellent work.

SHRI M. L. SONDHI : You are in league with him, against thieves.... (*Interruptions*).

SHRI SHEO NARAIN : What is this? Let him behave like a gentleman.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मंत्री महोदय ने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। वह केवल बुद्धि की उलझन में उलझ गये हैं, जवाब नहीं दे पाये। फितूर मेरे दिमाग में है या उन के, यह तो समझने की बात है। मैंने तीन सवाल किये थे अलग-अलग मान लिया कि उन के अनुसार यह दो वर्ष की बात है, मगर जमसंघ का यह शासन तो केवल साल भर से है। साल भर पहले क्यों उन के दिमाग में यह बात नहीं आई? दूसरी बात यह कि जब दिल्ली प्रशासन के नीचे नई दिल्ली का प्रशासन चलता है तो अलग वित्त मंत्रालय रहते हुए कैसे सुविधा के अनुसार कार्य चलेगा, और क्या यह बात सही है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष ने अपने वित्त सलाहकार से यह कहा था कि अगर वह उन की सलाह मान जायें तो उन की नियुक्ति हो सकती है?

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक उन के प्रथम प्रश्न का सवाल है, मैं पहले उत्तर दे चुका हूं कि विशेष परिस्थितियों के कारण नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी को अलग रखा गया।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : कौन सी परिस्थितियों में ऐसा हुआ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस लिये हमने न तो उस को दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन में सम्मिलित किया और न दूसरी जगह। जहां तक बजट का सवाल है, दिल्ली प्रशासन का जो पूरा बजट है चाहे नगर निगम हो चाहे नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी हो, सब गृह मंत्रालय की बजट की मांगों में आता है। उन के लिये अलग से बजट प्रावधान नहीं रक्खा जाता।

श्री यशवंत सिंह कुशवाह (भिंड): क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न कब तक उलझा रहेगा? दूसरी बात यह कि केन्द्रीय प्रशासन के आर्थिक हितों को कौन सी बाधा पहुंच रही थी जिस की वजह से हस्तांतरित अधिकार को अहस्तांतरित किया गया? तीसरी बात यह कि गृह उप-सचिव ने जो पत्र लिखा उस को लिखने का अधिकार उन को था या नहीं। अगर अधिकार था तो उस अधिकार का पालन क्यों नहीं होने दिया गया और अगर अनाधिकार पत्र लिखा तो क्या उन के ऊपर जांच कर के अनुशासनात्मक कार-वाई की जायेगी? चौथे यह कि दिल्ली प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप करते रहने का गृह मंत्रालय के दिमाग में जो फितूर है उसे कब समाप्त किया जायेगा?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जहां तक इनके प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि नई दिल्ली की एक विशिष्ट स्थिति है और उसके कारण ही इसको इस तरह से रखा गया है। जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, इसको आरक्षित विषय इस लिए बनाया गया है ताकि इससे जनहित का सम्पादन ठीक से हो सके।

जहां तक उप सचिव की चिट्ठी का सम्बन्ध है मैं फिर देखूंगा कि यह कब लिखी गई थी। मेरी प्रेजेंट इनफार्मेशन यह है कि यह नोटिफिकेशन जारी होने के पहले लिखी गई थी। इसकी मैं फिर से जांच कर लूंगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चिट्ठी लिखी गई है तो सचमुच गलत बात यह होगी। जहां तक मुझे मालूम है नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले यह लिखी गई थी।

जहां तक फितूर की बात का सम्बन्ध है, राजनीतिक कारणों से कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हमारी तरफ से हुआ है। हम यहां से राजनीतिक कारणों से कुछ नहीं करते हैं .....(**इन्टरप्शंज**)...जनहित के मामले जो होते हैं उन में राजनीति लाने की जो प्रवृत्ति है, उससे वातावरण दूषित होता है। व्यक्तिगत जो आरोप लगाये जाते है होम मिनिस्टर पर या एन० डी० एम० सी० के ऊपर वे सरासर बेबुनियाद हैं, गलत है और किसी तरह का भी उन में कोई तथ्य नहीं है।

12.43 HRS.

QUESTIONS ON STATEMENT LAID ON THE TABLE ON 12-8-1968 *RE.* INDO-SWISS TRAINING CENTRE AT CHANDIGARH

SHRI HIMATSINGKA (Godda) : May I know what the main objections of the Swiss foundation are to the continuance of the project under the CSIO? Is there any question of principle? Is there something of a personal nature between the director of the SCIO and the Swiss foundation and if so the nature thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : The foundation has not given any reasons or justification for keeping it as a separate unit. On the other hand the CSIR feels and the expert committee has also sug-